1

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M
N
30 JUL 2023
No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2072)

Name of Candidate	Devesh Parashar		
Medium Eng./Hindi	Hindi medium	Registration Number	520497
Center	Mukharjee Nagar.	Date	30/07/2023

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. Do you think the exercise of delegated legislation by the executive goes against the principle of separation of powers? Discuss in the context of India. **(150 words) 10**

क्या आपको लगता है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है? भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

प्रत्यायोजित विधान का आशय विधायिका द्वारा कार्यपालिका को कुछ जरूरी मुद्दों पर कानून/विधान बनाने की शक्ति देने से है ताकि शासन संचालन में गतिरोध से बचा जा सके।

यद्यपि यह संविधान में अंतर्निहित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है क्योंकि -

(i) विधान का कार्य मूलतः विधायिका का है।

(ii) अनिर्वाचित सदस्यों द्वारा कानून निर्माण लोकतांत्रिक जनादेश के विपरीत है

(iii) कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों की गहन जांच का अभाव

(iv) कई बार राजनीतिक हित और राजनीति

नौकरशाही गठजोड़ हावी हो जाती है.

(४) कानूनों के अस्पष्टता से न्यायपालिका के समक्ष समीक्षा भार बढ़ता है जिससे न्यायपालिका बनाम विधायिका व कार्यपालिका की स्थिति बनती है.

हालांकि इसकी आवश्यकता भी है -

(i) आवश्यक सुधार के लिए लचीलापन प्रदान करता है

(ii) संसद पर बढ़ता भार और जटिल मुद्दों के आवश्यक है

(iii) अति आवश्यक कार्यों के नौकरशाही को त्वरित निर्णयन के सक्षम करता है.

प्रत्यायोजित विधायन वर्तमान समय के इसकी आवश्यकता है हालांकि संसदीय जाँच तंत्र, सूर्यास्त प्रावधान उपबंध और न्यायिक जवाबदेही व्यवस्था पर सीमा आरोपित की जानी चाहिये.

2. The recent draft National Data Governance Framework Policy ("NDGFP") aims to transform and modernize government data collection and management processes in India. Discuss. **(150 words) 10**

हाल ही में, प्रस्तुत ड्राफ्ट "नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (NDGFP)" का उद्देश्य भारत में सरकारी डेटा संग्रह और प्रबंधन प्रक्रियाओं को रूपांतरित करना तथा उन्हें आधुनिक बनाना है। विवेचना कीजिए।

वर्तमान में बढ़ते डिजिटल दौर और डेटा की उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (NDGFP) का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है.

भारत में सरकारी डेटा संबंधी समस्याएं

(i) वृहत स्तर पर डिजिटलाइजेशन की कमी के कारण कई क्षेत्रों में [पर्याप्त डेटा की कमी]

(ii) डेटा अभिलेखन की परंपरागत तरीके

(iii) विभागीय व मंत्रालयी स्तर पर ऑपरेवेयर आधारित समन्वय का अभाव

(iv) बढ़ते साइबर खतरे (लगभग 80% संगठन इससे प्रभावित रहे)

(v) डेटा विश्लेषण हेतु तकनीकी कार्मिक की कमी।

डेटा प्रबंधन और संग्रह प्रक्रियाओं के रूपान्तरण मे NDSAP की भूमिका

(i) वृहद स्तर पर डेटा भंडारण और उसके संरक्षण हेतु स्थायी व्यवस्था (केंद्रीकृत सर्वर के रूप मे)

(ii) प्रत्येक स्तर पर डेटा सुरक्षा हेतु लेयरिंग का प्रावधान।

(iii) मंत्रालयों और विभागों के मध्य समन्वय का प्रावधान।

(iv) राष्ट्रीय स्तर पर डेटा संबंधी एक समर्पित निकाय जो सभी मे सहयोग सुनिश्चित करेगा।

विश्व बैंक के अनुसार डेटा का अधिकतम उपयोग। भारतीय अर्थव्यवस्था मे 1.4 ट्रिलियन डॉ० तक का योगदान सुनिश्चित कर सकता है।

3. Despite several social protection initiatives, Universal Social Security in India seems like a far-fetched dream. Discuss. **(150 words) 10**

कई सामाजिक सुरक्षा पहलों के बावजूद, भारत में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा एक दूर का स्वप्न प्रतीत होता है। चर्चा कीजिए।

एक अध्ययन के अनुसार भारत में [5%] से भी कम लोगों को पर्याप्त रूप से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है.

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पहलें
- मातृत्व लाभ अधिनियम
- PM-मातृ वंदना योजना
- PM वय वंदना योजना
- PM-किसान
- श्रमेव जयते अभियान व ई-श्रम पोर्टल
- आयुष्मान भारत योजना
- राष्ट्रीय पेंशन योजना
- दिव्यांगजन संरक्षण अधिनियम
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम.

भारत में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की अप्रभाविता -

(i) स्वास्थ्य सूचक - NFHS-5
- 54% महिलाएं एनीमिक
- 64% बच्चे एनीमिक

(ii) पोषण संबंधी
- ~14% लोग कुपोषित
- ~19% बच्चे ठिगनेपन से परेशान
- FAO के अनुसार 40% आबादी की गरीबी से खाद्य असुरक्षा

(iii) आय असमानता
- महिलाएं श्रमबल आय का केवल 16% ही प्राप्त (82% पुरुष)
- ऑक्सफैम के अनुसार शीर्ष 1% के पास 40% संपत्ति
- प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य, आय व पोषण संबंधी समस्या (28.3%)

संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है इस दिशा में वन नेशन वन राशन कार्ड, महिला आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी और समग्र कृषि व शिक्षा के प्रसार तत्काल अपेक्षित है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Online Dispute Resolution (ODR) can be a game-changing transformation in the justice delivery framework of India. Discuss. Also state the challenges in its wide-scale adoption in India. **(150 words) 10**

ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) भारत के न्याय वितरण ढांचे में एक परिवर्तनकारी बदलाव हो सकता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, भारत में इसे व्यापक पैमाने पर अपनाने के समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

विधि आयोग के अनुसार ऑनलाइन रूप (ODR) में विवादों का समाधान करके न्यायपालिका पर दबाव कम करने के साथ आर्थिक दक्षता भी प्राप्त की जा सकती है.

भारत में ODR के लाभ -

(i) विवादों का त्वरित निपटारा और अत्यधिक केस पेंडेंसी की समस्या में कमी।

(ii) त्वरित विवाद निपटान से व्यापार सुगमता (EODB) में प्रसार।

(iii) न्यायालयों के भी प्रवृत्ति से अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की भौतिक बाधाओं का समापन।

(v) सत्यापित व संकलित न्यायिक डेटा उपलब्धता

संभावित चुनौतियां

- तकनीकी व मानविक अवसंरचना की कमी
  - 10% अधीनस्थ कोर्ट के पास इंटरनेट नहीं
  - 27% कम्प्यूटर लैब कोर्ट
- डिजिटल डिवाइड
- वादि व प्रतिवादी में जागरूकता की कमी
- अधिकारियों व कर्मचारियों के समुचित प्रशिक्षण की कमी
- डाटा व आंकड़ा प्रमाणन संबंधी समस्या
- साइबर खतरे व डेटा गोपनीयता की समस्या।

हालांकि इस दिशा में सरकार द्वारा ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, FASTER जैसी कार्यवाहियां की गई हैं।

अवसंरचना सुधार और पर्याप्त वित्तपोषण द्वारा इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

2072
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Citizens' Charters only have a symbolic presence and have not been successful in making a difference in altering the state of public administration and service delivery in India. Discuss. **(150 words) 10**

सिटीजन चार्टर्स का केवल प्रतीकात्मक महत्व है तथा ये भारत में लोक प्रशासन और सेवा वितरण की स्थिति को बदलने में सफल नहीं रहे हैं। चर्चा कीजिए।

सिटिजन चार्टर किसी विभाग की सेवाओं की जानकारी, उनकी परिभाषा, मानक व कीमतों तथा अधिकारियों के कर्तव्यों का सम्बन्ध होता है जो नागरिकों के प्रति प्रशासन को जवाबदेह बनाने का साधन है.

इसका महत्व:
- पारदर्शिता व जवाबदेहिता
- अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही
- समयबद्ध सेवा डिलिवरी
- जनभागीदारी के प्रति
- सामाजिक जवाबदेही के प्रति
- नागरिक सशक्तिकरण

हालांकि निम्नलिखित चुनौतियों के कारण इसका महत्व केवल प्रतीकात्मक बना रहा है जैसे -

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(i) सभी विभागों में सिटिजन चार्टर की उपलब्धता नहीं।

(ii) सेवा, समय व मानक के संदर्भ में सामान्यता का अभाव

(iii) बिना जन परामर्श के तैयार किया जाना।

(iv) स्थानीय भाषाओं में अनुपलब्धता।

(v) उल्लंघन पर प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव।

(vi) विधिक रूप से बाध्यकारी होने के कारण प्रभावकारिता कम।

(vii) नागरिकों में जागरूकता की कमी।

2nd ARC के अनुसार सिटिजन चार्टर को वृहत जन परामर्श, प्रभावी शिकायत निवारण व स्थानीय भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। इसकी विधिक अनिवार्यता बनाए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है।

6. Discuss the role that the Public Health Management Cadre (PHMC) can play in addressing the concerns faced by public health systems in India.
(150 words) 10

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के समक्ष विद्यमान चिंताओं के समाधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर (PHMC) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में दक्षता, प्रभावकारिता, अत्यधिक बोझ के कारण कुछ चुनौतियाँ विद्यमान है.

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के समक्ष चुनौतियाँ

(i) अत्यधिक कम सार्वजनिक व्यय (GDP के 2% से भी कम)

(ii) पर्याप्त डॉक्टर्स व विशेषज्ञों की कमी. (CHCs में क्रमशः 37% व 80% की कमी)

(iii) स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना की कमी (कम बेड, कम टेस्टिंग फैसिलिटी आदि).

(iv) पर्याप्त बीमा कवरेज की कमी के कारण निजी क्षेत्र पर निर्भरता

जिससे आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी।

इस संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर (PHMC) की भूमिका

(i) अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा

(ii) स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती व प्रशिक्षण।

(iii) विशिष्ट सेवाओं की प्राप्ति

(iv) स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना।

(v) नए अस्पतालों का निर्माण और दुर्गम क्षेत्रों में टेली चिकित्सा उपलब्ध करवाना।

स्वास्थ्यपूर्ण जीवन का अधिकार Art-21 के तहत एक मूल अधिकार है इसकी सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर करना आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. What do you understand by the "Doctrine Of Pleasure"? Discuss the relevance of this doctrine in the context of civil services in India.
(150 words) 10

"प्रसादपर्यंत के सिद्धांत" से आप क्या समझते हैं? भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।

प्रसादपर्यंत के सिद्धांत के अनुसार किसी पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के अधीन (इच्छाधीन) होता है जिसके / जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया है.

भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है जिसमें लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत माने जाते हैं।

वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता -

(i) लोक सेवकों को अनुचित राजनीतिक दबाव से सुरक्षा प्रदान करना।

(ii) बारबार नौकरी जाने के भय से संरक्षण और सेवा में स्थायित्व।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) अखिल भारतीय स्तर पर सेवाओं के संदर्भ में नियंत्रण अखिल भारतीय होना आवश्यक है.

(iv) साथ ही किसी अवांछित कार्य को न्यायालयी / संवैधानिक सुरक्षा की आड़ में बचाने से रोकना।

इस संदर्भ में आलोचनाएं

- अधिकारियों के उपायों की स्थिति
- महत्वपूर्ण पदों को प्रसादपर्यंत मानना उनकी गरिमा को कम करता है.
- कार्यकाल को ग्रांटेड लेना (Art. 311 व 310 की समस्या)
- व्यवहार में कार्यपालिका और राजनीतिक दलों को अधिक शक्ति मिलती है.
- भय पर, नौकरी सिद्धांत की स्थिति बनती है.

इस संदर्भ में नियुक्तियों में पारदर्शिता व संतुलन की आवश्यकता है.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While the Election Commission of India (ECI) has the power to register political parties, it cannot de-register parties. Discuss the need to confer the power of de-registering political parties to the ECI. **(150 words) 10**

यद्यपि, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की शक्ति है, तथापि यह दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता है। ECI को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत मे एक निर्वाचन आयोग (ECI) की स्थापना की गई है। यह चुनावों का स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से मार्गदर्शन व निर्देशन करता है।

भारत मे ECI राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है परंतु उन्हें रद्द नहीं कर सकता। इस शक्ति के अभाव के कारण विभिन्न चुनौतियाँ उत्पन्न होती है जिसके कारण मे पंजीकरण रद्द करने की शक्ति ECI को दिए जाने की आवश्यकता है:-

(i) दलों द्वारा बारंबार ECI के दिशानिर्देशों का उल्लंघन।

(ii) संपत्ति बनाने मे अस्पष्टता, चुनावी निधियों व आयकरों के संदर्भ में

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उल्लंघन।

(iii) राजनीतिक दलों द्वारा जनता के मतों के धन का व्यय किस प्रकार किया गया कोई हिसाब नहीं दिया जाता है।

(iv) दलों के अंतरदलीय लोकतंत्र का अभाव।

(v) राजनीतिक दलों द्वारा धरने में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान।

महत्वपूर्ण सिफारिशें -

(i) ECI - RPA-1951 में संशोधन कर दलों के पंजीकरण रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए।

(ii) 2nd ARC व NCRWC द्वारा भी ECI के इस मत का समर्थन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ECI इंग्लैण्ड लार्ड्स के समान है उसे शक्तियां दी जानी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. A key factor behind poor governance is a system of thinking and working in silos. Discuss in the context of public services in India. **(150 words) 10**

दोषपूर्ण गवर्नेंस के पीछे प्रमुख कारण एक ढर्रे में सोचने की आदत और एकाकी कार्य प्रणाली है। भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए।

भारतीय लोक सेवाओं के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका ढाँचा 19वीं सदी का है और समस्याएं 21वीं सदी की है।

दोषपूर्ण गवर्नेंस के कारण –

(1) एक ढर्रे में सोचना –

- नवाचार की कमी
- जटिल समस्याओं के संदर्भ में अप्रभाविता जैसे – आइवा हमले.
- प्रशासन को सक्रिय बनाने के स्थान पर शिथिल एवं फाइलिंग केंद्रिक बनाना।
- जनभागीदारी को प्रोत्साहित न करना।

(2) एकाकी कार्य प्रणाली.

- परंपरागत [कल पुर्जा मानसिकता]
- रिस्क डेलिगेशन (काम टालने की प्रवृत्ति)
- विभिन्न सेवाओं में आपसी समन्वय की कमी।
- लाल फीताशाही से [विलंबित प्रशासन]

[जवाबदारी] — (प्रशासन में ओवरहॉलिंग) — [अतिविकेन्द्रीकरण]

इस संदर्भ में लोकसेवाओं में [नीति आयोग] के अनुसार मूलभूत सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

इस दिशा में मिशन कर्मयोगी एक सकारात्मक उदाहरण हो सकता है।

2072
VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Give an account of the institutional mechanisms available to ensure the accountability of civil servants in India. Also, discuss the challenges in ensuring such accountability. **(150 words) 10**
भारत में लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संस्थागत तंत्रों का विवरण दीजिए। साथ ही, ऐसी जवाबदेही सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए।

भारत मे लोक सेवाओं को स्टील फ्रेम की संज्ञा दी जाती है इनके पास व्यापक अधिकार और कर्तव्य होते है। इस संदर्भ मे इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यधिक आवश्यक है.

उपलब्ध संस्थागत तंत्र -

(1) संवैधानिक
- अनुच्छेद 310 व 311 के माध्यम केंद्र व राज्य की शक्तियाँ
- UPSC व प्रशासनिक अधिकरण

(2) विधायी
- केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली - 1964
- लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम - 2013
- केंद्रीय सतर्कता आयोग - 2003.

विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के कारण।

(3) अन्य – कार्यपालिका द्वारा निर्णयों / कार्यों की समीक्षा करना।

~~(अन~~

उपस्थित चुनौतियाँ

- पदानुक्रम की अस्पष्टता
- राजनीति-नौकरशाही गठजोड़
- क्षेत्राधिकार अतिव्यापन से कमजोर जवाबदेही
- प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र नहीं
- लोक सेवकों का नियमों से बचना।
- Art 311 व 310 की सुरक्षा का दुरुपयोग।

2nd ARC के सुझाव भारत के लोक सेवाओं के लिए सार्वजनिक आचार संहिता Art-311 का लोप आदि तंत्रों से जवाबदेही में सुधार लाया जा सकता है।

11. Self Help Groups play a crucial role in providing self-employment, training and social mobilization, thereby ameliorating the standard of living of the rural people. Discuss. **(250 words) 15**

स्वयं-सहायता समूह स्व-रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सामाजिक लामबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। विवेचना कीजिए।

स्वयं सहायता समूह (SHGs) ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपसे आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं।

SHGs की प्रमुख भूमिका -

(1) स्वरोजगार -

- सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराना
- कार्य हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कराना
- विपणन व वितरण की सुविधा

(2) प्रशिक्षण -

- कृषि व मशीनरी के प्रशिक्षण
- छोटे हस्तपर उपकरण निर्माण व हस्तशिल्प के प्रशिक्षण.

2072
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार व स्वरोजगार में सक्षम बनाना।

(3) सामाजिक लामबंदी – सौहार्द्रपूर्ण समता में सुधार, भागीदारी, धर्मनिरपेक्ष जैसी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता।

(4) ग्रामीण जीवन सुधार – काम आधारित वृत्ति, शिक्षा व स्वास्थ्य के मानकों तक पहुँच।

Case study –

(1) कुडुम्ब श्री – केरल में महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

(2) महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडल

2072
VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(MAVIM) द्वारा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार।

(3) लिज्जत पापड़ आदि द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण।

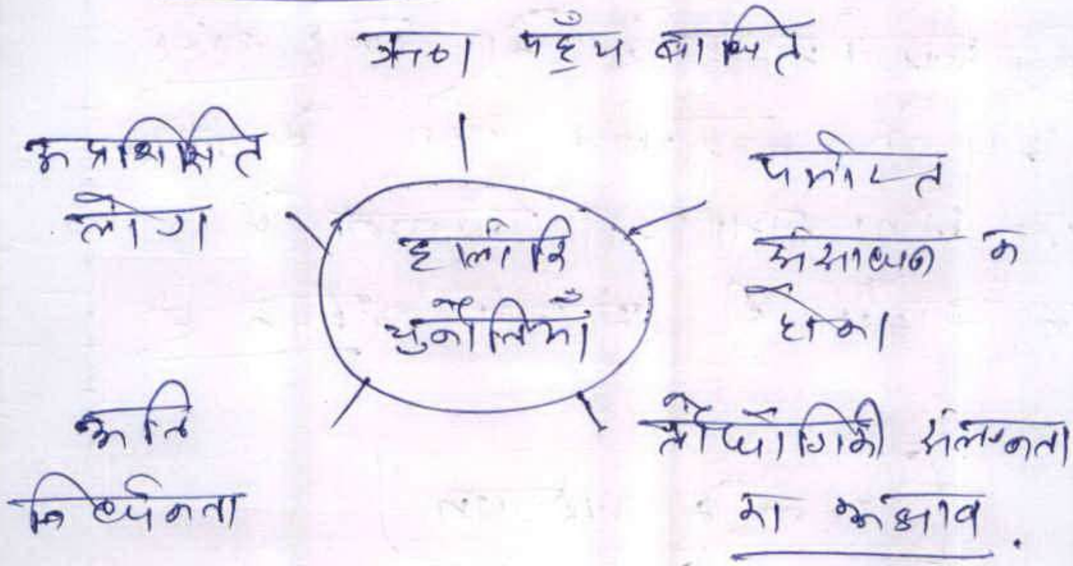

SHGs को भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रगति का इंजन माना जा सकता है इन्हें बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता, सरल जैसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. The Smart Cities Mission, which was launched to change the urban landscape of India has produced mixed results. Discuss. Also, highlight the challenges faced in executing the Mission. **(250 words) 15**

भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

स्मार्ट सिटि मिशन (SCM) 2015 मे (100) भारतीय शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में स्थापित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में इसमें शहरों की संख्या अधिक है।

SCM के परिणाम

सकारात्मक	नकारात्मक
• शहरों के आयोजना के महत्व में बढ़ोतरी	• वर्तमान में अच्छे से भी कम शहरों के मास्टर प्लान विकसित किया गया है।
• शहरों के पास मास्टर प्लान की प्राप्ति	• बढ़ते शहरीकरण और शहरी जनसंख्या
• शहरी अवसंरचना	

* सुझाव
- रोड लाइटिंग कैमरे आदि की स्थापना
- यातायात में तकनीकी का समावेश
- इंटरनेट और wifi सेवाओं की पहुँच में बढ़ोतरी

* विकास से अपर्याप्त कवरेज।
- प्रौद्योगिकी व इंटरनेट की पहुँच कहीं-कहीं पूर्ण अपेक्षित नहीं।
- प्रदूषण की उत्पत्ति समस्या
- यातायात के प्रबंध व भीड़भाड़ की समस्या

लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ

(1) आवंटित कोष का अपर्याप्त उपयोग (केवल 7% ही उपयोग).

(2) बढ़ते टीयर-2 व टीयर-3 शहरों की प्रकृति।

(3) जलवायु परिवर्तन के कारण बारबार

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आपदाओं की स्थिति जैसे दिल्ली में हालिया बाढ़ / अरबन फ्लडिंग।

(4) मंत्रालयों व विभागों में पर्याप्त समन्वय का अभाव

शहरी मंत्रालय

विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय — सूचना व प्रसारण मंत्रालय

(5) पर्याप्त कर्मचारियों व कुशल मानव संसाधन की कमी।

स्मार्ट शहर वर्तमान की आवश्यकता है इसके लिए पर्याप्त वित्तीय तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने, मंत्रालयी समन्वय बढ़ाने और स्मार्ट गाँवों के विकास की आवश्यकता है।

13. Bringing out the recent amendments introduced in the Election Laws Amendment Act, 2021, discuss the various concerns associated with the linking of Aadhaar with electoral roll data. **(250 words) 15**

निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 में प्रस्तुत हालिया संशोधनों को वर्णित करते हुए, मतदाता सूची डेटा के साथ आधार को लिंक कराने से जुड़ी विभिन्न चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

हाल ही में निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 पारित किया गया जिसमें मतदाता सूची से जुड़े कुछ परिवर्तन किए गए।

प्रस्तुत हालिया संशोधन-

(1) मतदाता सूची को वर्ष में चार बार अपडेट किया जाएगा। (जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर)

(2) ऑनलाइन पूर्व पंजीकरण का प्रावधान

(3) लैंगिक तटस्थ बनाने का प्रावधान (पति/पत्नी के स्थान पर स्पाउस का प्रयोग)

(4) पोस्टल बैलेट व सेवा मतदाताओं की परिभाषाओं के संदर्भ में विस्तृत प्रावधान।

(3) मतदाता सूची को आधार डेटा से लिंक करने का प्रावधान किया गया है.

आधार डेटा से लिंक करने की आवश्यकता -

(i) फर्जी मतदाताओं की समस्या से निपटना।

(ii) एक राष्ट्रीय मतदाता रजिस्टर जिससे मतदान संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण।

(iii) मतदान प्रतिशत में वृद्धि करना।

(iv) भविष्य में ऑनलाइन वोटिंग व सत्यापन के संदर्भ में उपयोगी।

इससे जुड़ी चुनौतियां -

(i) नागरिकों के डेटा की सुरक्षा की चुनौती।

(ii) निजता की हानि संभव

(iii) मतदाताओं की पहचान उजागर

है। सकती है। इससे राजनीतिक दलों द्वारा दबाव डालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।

(iv) आधार डेटा के पूर्ण संरक्षण और प्रमाणीकरण को लेकर नागरिकों में आशंका की स्थिति।

इस रूप में प्रस्तावित अधिनियम को वैधिक तरह बनाया जाना एक सकारात्मक कदम है। लेकिन आधार डेटा के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा और डेटा संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. It has been argued that one of the characteristic features of the civil services in India is bureaucratic indecision and risk aversion. Discuss the reasons for the same and suggest remedial measures. **(250 words) 15**

यह तर्क दिया जाता है कि नौकरशाही द्वारा निर्णय न लेना और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति भारत में लोक सेवाओं की अनूठी विशेषताएं हैं। इसके कारणों पर चर्चा कीजिए और उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में नीति निर्माण में विधायिका का सहयोग और नीति के क्रियान्वयन में लोक सेवाओं की केन्द्रीय भूमिका है।

लोक सेवाओं के संदर्भ में जटिलता और अनेक राजनीतिक मुद्दों के कारण अनिर्णयन और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। इस समस्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है-

(i) लोक सेवाओं को अत्यधिक अधिकार के साथ अत्यधिक कार्यभार सौंपा जाना। (फाइलिंग वर्क अधिक)

रिकॉर्ड कीपिंग संस्कृति से

नियमों में व्यावहारिकता की कमी.

(ii) लोक सेवाओं में नियमों का पुलिंदा तैयार होने से प्रक्रियात्मक जटिलता और निर्णयन में विलंब।

(iii) सीनियर्स/मंत्रियों द्वारा प्रोत्साहन के स्थान पर हतोत्साहन किया जाना।

(iv) जटिल व रिजिड उच्चस्थ - अधीनस्थ संबंध।

(v) सामान्य चूक के मामले में भी कठोर कार्रवाई से लोक सेवक किसी भी प्रकार के निर्णयन से बचते हैं।

इस हेतु उपचारात्मक उपाय -

(i) 2nd ARC के अनुसार ईमानदार लोक सेवकों को संरक्षण और नियुक्ति व कार्यकाल में स्थायित्व।

(ii) भारतीय लोक सेवा में जवाबदेहिता के

मूल्य को मजबूत बनाना।
(iii) कार्यों और नियमों के नैतिक व कानूनिक विवेकशीलता को जन तक स्पष्टता लाना।
(iv) समय-समय पर समीक्षा एवं परफॉर्मेंस ऑडिट करना। (2nd ARC)
(v) नागरिक चार्टर और RTI जैसे माध्यमों के माध्यम से नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा।

वर्तमान में लोक सेवा की रूल बेस्ड के स्थान पर रोल बेस्ड जवाबदारी की आवश्यकता है इस संदर्भ में स्वयं सक्षमता निर्माण और जन-जवाबदेही बढ़ाना आवश्यक है।

15. Do you agree with the view that "one nation one election" is an idea whose time has come? Justify with suitable arguments. (250 words) 15

क्या आप इस मत से सहमत हैं कि "एक राष्ट्र एक चुनाव" एक ऐसा विचार है जिसे अपनाने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ औचित्य सिद्ध कीजिए।

नीति आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने हेतु सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने की सिफारिश की है.

वस्तुतः एक राष्ट्र - एक चुनाव का मूल आशय केंद्रीय व राज्य चुनावों के लिए साझा मतदाता सूची का निर्माण करना है.

एक राष्ट्र और एक चुनाव की आवश्यकता एवं महत्व का पक्ष-

(i) स्वतंत्रता के बाद (2) दशकों तक एक साथ चुनावों की उपस्थिति रही है

(ii) बार बार चुनावों और उपचुनावों की प्रकृति से सरकार विधि निर्माण के

मूल उद्देश्य से भटककर राजनीतिक प्रचार में लग जाती है.

(iii) चुनावों में धन की अधिकता बढ़ती है. (स्वतंत्रता से अब तक लगभग (6) गुना).

(iv) प्रशासन की अत्यधिक संलग्नता से जनकार्य बाधित।

(v) शिक्षकों की भारी फौज जुटने से शिक्षा प्रभावित।

(vi) बार बार आचार संहिता के आरोपण से विकास कार्यों में बाधा।

यद्यपि उपरोक्तों के बावजूद इसके कुछ विपरीत परिणाम भी देखे जा सकते हैं जैसे -

(i) उपचुनावों से दल जनता के प्रति जवाबदेह बने रहते हैं।

एक बार चुनाव से जवाबदेहिता कम हो सकती है.

(ii) अत्यधिक प्रशासनिक मशीनरी का एक साथ उपयोग होने से गवर्नेंस ओवरहेड की समस्या।

(iii) बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती से आंतरिक व सीमा सुरक्षा को खतरा।

(iv) केंद्र स्तर पर क्षेत्रीय दलों को हानि जिससे संघात्मक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।

(v) चुनावी मशीनरी के एक साथ सामन्जस्य में जटिलता।

नीति आयोग, ECI आदि ने एक राष्ट्र - एक चुनाव की अवधारणा पर विचार की सिफारिश की है हालांकि इस संदर्भ में कोई कदम सर्वदलीय सहमति के बाद ही लिया जाना चाहिए।

16. Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms, though successful in parts, have failed to take off on a larger scale in India. Analyse. Also, suggest measures that can be adopted to strengthen the ADR mechanisms. **(250 words) 15**

हालांकि, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र आंशिक रूप से सफल रहे हैं, तथापि ये भारत में व्यापक पैमाने पर जगह बनाने में विफल रहे हैं। विश्लेषण कीजिए। साथ ही, ADR तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) परंपरागत न्यायपालिका से हटकर विवाद समाधान की प्रणाली है जिसमें मध्यस्थता, सुलह/समझौता, आपसी सहमति आदि का प्रयोग किया जाता है।

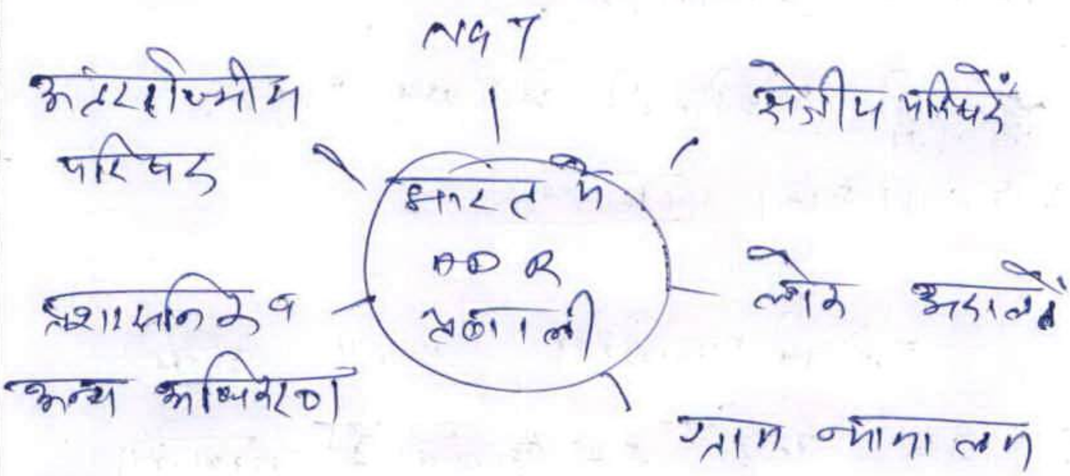

भारत में ADR की सफलताएं -

(i) तीव्र व विशेषज्ञ न्याय की प्राप्ति को बढ़ावा।

जैसे पर्यावरणीय क्षेत्र में NGT

2072
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

द्वारा समयबद्ध न्याय (6 माह).

(ii) परंपरागत न्यायपालिका में बोझ कम करने में सहायक।

(iii) तीव्र, कम खर्चीला व कम औपचारिक न्याय का माध्यम।

(iv) आसान न्याय से कारोबार सुगमता (EODB) में सुधार।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित न्याय को बढ़ावा। (जैसे - परिवार न्यायालय के संदर्भ में)

सीमित सफलता पंरतु व्यापक विफलता -

(i) वकीलों के माध्यम से विवादों की निरंतरता बनी रहती है।

⊥

विवाद के अंतिम समाधान में असफलता की स्थिति।

(ii) परंपरागत न्यायपालिका की अत्याधिक

केस पेंडेंसी (~5 Cr.) बनी हुई है।

(iii) स्थानीय स्तर पर न्यायालयों / ADR की उपेक्षता कम। (अभी - देश में केवल 208 ग्राम न्यायालय)।

(iv) ADR में पर्याप्त विशेषज्ञता का अभाव।

(v) ADR के संदर्भ में एक समेकित राष्ट्रीय ढांचे का अभाव।

1

इससे लागत प्रभावशीलता व विश्वसनीयता में कमी।

भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान ढांचे की सफलता एक गेमचेंजर की भूमिका निभा सकती है।

17. While the Representation of the People Act (RPA), 1951 places limitations on election funding, there is rampant misuse of money power in election campaigns. In this context, discuss the reforms required in election funding in India. **(250 words) 15**

हालांकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 चुनावी फंडिंग पर सीमाएं आरोपित करता है, फिर भी चुनाव अभियानों में धन बल का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। इस संदर्भ में, भारत में चुनावी फंडिंग में आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए।

भारतीय चुनावों के एक अध्ययन के अनुसार चुनावों मे खर्च स्वतंत्रता से अब तक (6) गुना बढ़ गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) - 1951 द्वारा चुनावी फंडिंग पर सीमाएँ -

(i) निर्धारित व्यक्तिगत चुनावी व्यय सीमा का आरोपण।
(ii) चुनावी व्यय का अनिवार्य ब्यौरा दिया जाना।
(iii) चुनावी फंडिंग की प्राप्ति हेतु अनुमति प्राप्त करना।
(iv) विदेशों से चुनावी फंडिंग पर प्रतिबंध।

(v) फंडिंग का अनियमित वैधिक रूप को प्राप्त करना।

इन सीमाओं के बावजूद चुनावों के आजकल का दुरुपयोग व बढ़ने के कारण –

(i) प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव

(ii) उल्लंघन पर ECI को दलों के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति नहीं है।

(iii) केवल व्यक्तिगत फंडिंग पर रोक। दल आधारित फंडिंग पर नहीं।

(iv) फंडिंग के आंकड़ों के अत्यधिक गोपनीयता की स्थिति जिससे स्रोत का पता लगाना मुश्किल।

आवश्यक उपाय –

(i) 2nd ARC के अनुसार मंडे के विनियमन के साथ चुनावों में राज्य द्वारा आंशिक वित्तपोषण करना चाहिए।

2072
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) चुनावी बांड योजना में प्रचार का एक सीमा से अधिक के चंदे पर स्रोत का खुलासा करना अनिवार्य।

(iii). दलों की फंडिंग का भी विनियमन करना आवश्यक है.

(iv) दलों के संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य करना.

(v) चुनावों पर दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशों पर विचार करना।

2nd ARC के अनुसार चुनावों में अनियमित / अनियंत्रित फंडिंग भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है इसका विनियमन आवश्यक है।

18. There are arguments that the current First-Past-The-Post (FPTP) electoral system must be replaced by the Proportional Representation (PR) electoral system in India. Critically evaluate the statement. **(250 words) 15**

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि वर्तमान फ़र्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) नामक चुनावी प्रणाली को भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) चुनावी प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) व आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) दो महत्वपूर्ण चुनावी प्रणालियाँ है।

भारत में यद्यपि दोनों उपयोग की जाती है परंतु FPTP का प्रयोग मूल जनप्रतिनिधि चुनावों में किया जाता है।

FPTP प्रणाली से भारत निम्नलिखित समस्याओं के कारण PR प्रणाली की ओर बढ़ रही है -

(i) बहुमत के स्थान पर अधिकतम मत पर केंद्रित।

↓

सर्वाधिक मत प्राप्तकर्ता ~~विजयी~~ विजयी हो जाता है भले ही अन्यों के सामान्य रूप से उसके विरोध में

2072
VISION IAS™
Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मतदान किया हो..

(ii) दल को प्राप्त मतों के अनुपात में अधिक सीटों की प्राप्ति होती है.

(iii) सरकार अस्थायित्व की स्थिति बनती है.

(iv) दलों के अस्तित्व बना रहता है.

PR प्रणाली

लाभ	हानि
• सीटों का अनुपात मतों के अनुरूप रहता है.	• विशाल जनसामान्य के लिए बोधगम्य नहीं।
• स्थायित्व प्राप्त होता है	• उत्तरदायित्व की कमी
• ~~दलों का ...~~	• वर्तमान में

वास्तविक बहुमत प्राप्त करने का नाही विषमता होता है	मतदाता के उम्मीदवार हेतु पर्याप्त सीमित नहीं

वर्तमान भारतीय चुनावी परिदृश्य के अनुरूप PR प्रणाली पूर्णत: उचित नहीं है। अत: FPTP प्रणाली में परिवर्तन कर PR को अपनाना उचित नहीं है।

हालांकि FPTP प्रणाली में सुधार कर इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है जिसमें मतदाता जागरूकता, आंतरिक दलीय लोकतंत्र, चुनावी खर्च सीमा की निगरानी आदि।

19. Simplification of laws is a prerequisite of good governance. In light of this, discuss the impact of ambiguity in laws and suggest some steps that can be taken to reduce this ambiguity. **(250 words) 15**

कानूनों का सरलीकरण सुशासन की एक पूर्वापेक्षा है। इसके आलोक में, कानूनों में अस्पष्टता के प्रभाव पर चर्चा कीजिए और इस अस्पष्टता को कम करने के लिए उठाए जा सकने वाले कुछ कदमों का सुझाव दीजिए।

2nd ARC के अनुसार कानूनों की जटिलता और नीतियों का प्रतिरूप भारतीय प्रशासन की अक्षमता का मूल कारण है।

कानून में अस्पष्टता प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है।

कानूनों में अस्पष्टता का प्रभाव –

(i) कार्य की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में कठिनाई।

(ii) पारदर्शिता और खुलापन के मूलतः नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।

(iii) प्रशासन/शासन में विवेकाधिकार के अतिप्रयोग व जोखिम से बचने की प्रवृत्ति

बढ़ती है।

(iv) विधायन की समाप्ति प्रत्यायोजित विधान का अत्यधिक उपयोग जो कि लोकतांत्रिक उद्देश्य के विरुद्ध है।

(v) राजनीतिक रूप से अधिवाद को चुनौती मिलती है।

↓

केंद्र व राज्य के अतिव्यापी कानूनों में टकराव।

(vi) नागरिकों द्वारा सेवा प्राप्ति में कठिनाई।

इस संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं -

(i) विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार पुराने व अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना।

(ii) विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अतिव्यापी कानूनों की समीक्षा कर उन्हें

एकीकृत करना।
जैसे वेतन पर अनेक कानूनों के एकीकरण से वेतन संहिता।

(iii) पुराने कानूनों में आवश्यकतानुसार अपडेशन और प्रासंगिकता या आवधिक समीक्षा करना।

(iv) एक समर्पित कानून समीक्षा आयोग/विंग का गठन जो विधि आयोग व विधि व न्याय मंत्रालय के निर्देशन में कार्य करे।

(v) संसद को अधिक टेक्नोलोजिकल विधायन को अपनाना और जरूरी उद्देशों पर सरल कानूनों का निर्माण करना।

केशवानंद के अनुसार कानून सर्वसमावेशी होने के साथ ऐसा होना चाहिए की एक आम व्यक्ति भी उसे साथ लेकर चल सके।

20. Freebies, especially ahead of elections, do more harm than good to the society. Do you agree? Give logical arguments in support of your answer.
(250 words) 15

मुफ्त उपहार, विशेष रूप से चुनावों से पहले, समाज के लिए लाभकारी होने की बजाय अधिक हानिकारक हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में युक्तिसंगत तर्क दीजिए।

आज़ादी के इतने दशकों से मुफ्त उपहार (फ्रीबीज़) भारतीय राजनीति और चुनावों के अनिवार्य अंग बन चुके हैं।

मुफ्त उपहारों का अत्यधिक चलन समाज के लिए विभिन्न रूपों में हानिकारक होता है -

(1) राजनीतिक - स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रभावित
- लोकतंत्र की हानि
- चुनावों में धन बल का प्रयोग बढ़ता है।

(2) आर्थिक -
- अत्यधिक राजकोषीय घाटे की स्थिति

- उत्पादक क्षम के रूप में ध्यान की कमी।
- लोक कल्याण हेतु संसाधनों की कमी।

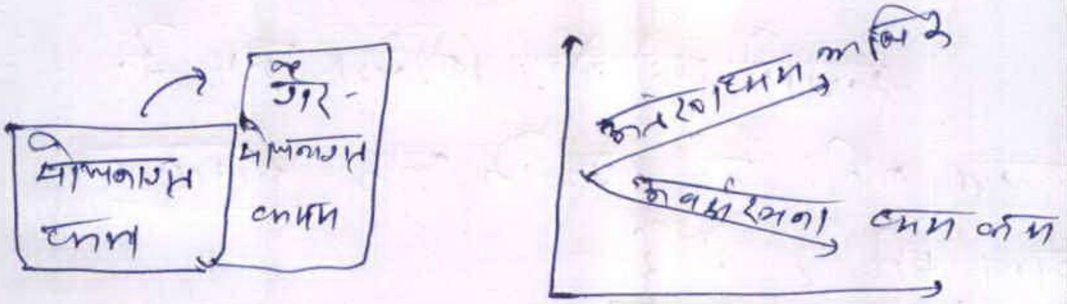

(3) सामाजिक -
- जनहित का स्वत्व के रूप में तौलना।
- नागरिक के मत की हानि
- स्वावलम्बन से परावलम्बन की ओर बढ़ने की स्थिति बनती है।
- मुफ्ती प्रभावों से नागरिकों के अकर्मण्यता की स्थिति।

(4) पर्यावरणीय - अतिदोहन की स्थिति।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(संभावनाओं का क्षरण (जैसे अधिक बिजली खपत से अधिक कोयला खनन)

यद्यपि जीडीपी निरपेक्ष रूप से गलत नहीं है। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है जैसे-

(i) शिक्षा व स्वास्थ्य से जन लाभकारी होता हो जैसे- आयुष्मान भारत योजना से आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी।

(ii) नागरिकों की मौद्रिक क्षमता में सुधार

(iii) क्षेत्रीय असमानताओं में कमी व क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति।

अतः जीडीपी दोधारी तलवार है इसको नियंत्रित करना अत्यधिक आवश्यक है।